

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 5503 12-14 अल्मोड़ा दिनांक 10-5 .2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय — जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगैर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० 19494/2016)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2291/एफ०पी०/यू०के०/रोड/19494/2016 दिनांक 01.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु सं० 1 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल के०एम०एल० फाईल में अभी भी 3.20 है० ही दर्शित हो रहा है। अतः सी०ए० हेतु प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल के०एम०एल० फाईल में 3.85 है० दर्शाते हुये संशोधित के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट I के एल० सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं तथा के०एम०एल० भी सही कर ली गयी है।
2	बिन्दु सं० 3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट- II के पैरा-7 पर वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी 0.00 कि०मी० अंकित की गयी है, जो आतिथि तक संशोधित नहीं की गयी है। अतः प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से दूरी ऑनलाईन यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	उक्त प्रस्ताव में मोटर मार्ग निर्माण हेतु संरक्षण आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस कारण वन की सीमा से प्रस्तावित स्थल की अनुमानित दूरी शून्य अंकित की गयी है।
3	बिन्दु सं० 4 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या में पैरा-5.3 में कोई भी टिप्पणी नहीं दी गयी है। कृपया उक्त के संबंध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।	आपत्ति के निराकरण के क्रम में नवीन स्थलीय निरीक्षण आख्या तैयार कर पुनः अपलोड की जा रही है।
4	बिन्दु सं० 5 के क्रम में अवगत कराना है सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण (साईट विजिट) एवं मुआयना किया जाय, ताकि उक्त के संबंध में भारत सरकार को आख्या प्रेषित की जा सके।	आपत्ति के निराकरण के क्रम में नवीन स्थलीय निरीक्षण आख्या तैयार कर पुनः अपलोड की जा रही है।
5.	बिन्दु सं० 6 के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना का औचित्य एवं आवश्यकता के संबंध में प्रस्तावक विभाग द्वारा	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के माँग का पूर्ण

	दिया गया औचित्य प्रमाण पत्र (जस्टिफिकेशन) में कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः संशोधित औचित्य प्रमाण पत्र (जस्टिफिकेशन) प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	औचित्य पार्ट I के सैक्शन डी0 I में अपलोड कर लिया गया है।
6	बिन्दु सं0 9 के अनुपालन में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रैफिरेन्स मानचित्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के जियो रैफिरेन्स मानचित्र की मूल प्रति प्रभागीय वनाधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्ताव के पार्ट-I एवं पार्ट II में यथास्थान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र पार्ट I के एल0 सैक्शन में अपलोड कर लिये गये हैं।
7	बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मीटर के स्थान पर 6.00 मीटर चौड़ाई में करते हुये संशोधित मलवा निस्तारण योजना ऑनलाईन अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण की गणना 3.00 मी0 चौड़ाई के स्थान पर 6.00 मी0 चौड़ाई में कर ली गयी है। जिसमें Annexure-1 प्रपत्र ही बदला जाना है, जिसे संलग्न कर प्रेषित कर दिया गया है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।